रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
2/6/21	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ Covid-19 के कारण पूवानुसार वास्ते [illegible] दिनांक 16/6/21 को पेश हों।	
16/6/21	~~वकीलों के कन्डोलेंस~~ Covid-19 के कारण पूवानुसार वास्ते बहस दिनांक 7/7/21 को पेश हों।	
7/7/21	वकील फरीकेन उप०/SDO साहब अवकाश / दौरे पर पधारे हैं। पूर्वानुसार दिनांक 28/7/21 को पेश हों।	
28/7/21	वकील फरीकेन अता अप्रार्थी स. 1 ता 3 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अन्तर्गत [illegible] प्रार्थी दिनांक [illegible] बहस दिनांक 18/8/21 को पेश हो।	
18/8/21	वकील फरीकेन उप० बहस [illegible] [illegible] के [illegible] पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/9/21 को पेश हो।	
15/9/21	वकील फरीकेन उप० बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	प्रा0 पत्र	ता0दायरा	ता0निर्णय
48/19	रिसीवरी	18.08.19	15.09.2021

01. भूरा आयु 48 साल
02. रामधन आयु 46 साल — पिसरान बद्री
03. जनवेद आयु 35 साल
04. बाडा पत्नि बद्री आयु 75 साल
05. मुनेश आयु 55 साल
06. मुकेश आयु 45 साल — पिसरान किशोर
07. जयपाल आयु 37 साल

सभी जातियान मीना निवासीयान सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

01. रामकेश आयु 53 साल
02. नेमीचंद आयु 47 साल — पिसरान रामस्वरूप जाति मीना निवासी सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली
03. प्रकाश उर्फ ओमप्रकाश आयु 44 साल
04. तहसीलदार, तहसील सपोटरा जिला करौली

–अप्रार्थीगण

दर0 212 आर.टी.एक्ट बाबत् कायमी रिसीवर

उपस्थित:– श्री श्यामप्रकाश गर्ग अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री मदनमोहन गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त उनवानी दावा अदालत हाजा में लंबित है तथा रामकेश बनाम मुनेश दावा सं0 59/17 में अदालत आदेश से समेकित हुआ है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है जिसका सजरा परिवार प्रार्थना पत्र के दर्ज है। आराजी खसरा नं0 52, 5, 54, 55, 56, 57 किता 6 रकबा 08 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम कुड़गांव तहसील सपोटरा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की पुश्तैनी सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा है। उक्त आराजीयात टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन व उससे पहले व उसके बाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के बुजूर्ग जैकिशन पुत्र मोती जाति मीना निवासी सलेमपुर के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी, मुताबिक सजरा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 खातेदार जैकिशन के वारिस है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता चतुर चालाक व समझदार था उन्होने प्रार्थीगण के पितागण से छिपाकर जैनारायण का पिसर मुतवन्ना बन कर अपने नाम जमीन विवादित मे से 1/2 हिस्से की खातेदारी सैटिलमेंट विभाग से कराली जबकि कानूनन सैटिलमेंट विभाग को जमाबंदी मे इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार नही है। बिना किसी अधिकार जैकिशन के साथ अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता रामस्वरूप का नाम गलत दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

कर लिया है। जबकि प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। आराजी खसरा नं0 768, 769, 791, 825 किता 4 कुल रकबा 20 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सलेमपुर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 की शामलाती खाते व कब्जे की है जिसमें प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा व अप्रार्थी सं0 1 ता 3 का 1/3 हिस्सा है ये आराजीयात हामरी पुश्तैनी पूर्वज मोती के समय की है और मुताबिक सजरा हम मोती के वारिस है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिवस उसके बाद व उससे पहले जैकिशन मोती जमीन पर वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज थे। सम्बत् 2012 की जमाबंदी की नकल उपलब्ध नहीं हो सकी है इसिलए प्रार्थीगण की ओर से खाता चौसाला 1970 व 1974 की नकले व मिलान क्षेत्रफल की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है। अप्रार्थी सं0 1 ता 3 के पिता चतुर चालाक व समझदार व्यक्ति था उसने प्रार्थीगण के पितागण से छिपा कर सैटिलमेंट विभाग वालो से मिल कर गैर कानूनी तरीके से उक्त सम्पूर्ण आराजीयात अपने नाम कराली है। सैटिलमेंट विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज हक प्रार्थीगण के हकूकों पर नल एण्ड बोईड एवं प्रभावहीन है। प्रार्थीगण आज भी सामलाती रूप से जमीन विवादित पर काश्त कर रहे है। दिनांक 06.06.2017 को प्रार्थीगण विवादित जमीनों के अपने हिस्से की देखभाल करने खेतों पर गये तो अप्रार्थी सं0 1 ता 3 ने हमको धमकी दी कि जमीनों का खाता हमारे नाम है तुम्हे काश्त नही करने देगें ताकत के बल पर बेदखल करेगें और जमीन को रहन वय करके तुम्हे तंग करेगें। अप्रार्थीगण हमारे हकूकों का इंकार करने लग गये तब प्रार्थीगण ने दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा भूरा बनाम रामकेश मु0सं0 33/17 दिनांक 20.02.2019 को पक्षकारान को मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखने को पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण झगड़ालू व गिरोहबंद है और ताकत के बल पर हम प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। दिनांक 13.08.2019 को प्रार्थीगण ने अपने हिस्से मे खेतों में तिल बाजरे की फसल की रखवाली कर रहे थे तो सभी अप्रार्थीगण व इनकी औरतों व बच्चे खेत पर आ गये और झगड़ा करने पर उतारू हो गये। प्रार्थीगण ने कहा कि आप अदालत से पाबंद हो हम जिस जमीन को जोतते आ रहे है जोत रहे है। आप अपने हिस्से की जमीनों को जोत लो तो आमादा फिसाद हो गये और जान से मारने को उतारू हो गये। विवादित जमीनें हमारी पुश्तैनी है हम काबिज है अप्रार्थीगण हमें हमारी जमीनों से फुटस नही लेने दे रहे है जिससे हम जमीन के लाभों को लेने से महरूम हो रहे है। न्यायहित हमारे हकूकों को प्रोटेक्ट करने के लिये विवादित जमीनों के कब्जे काश्त के इन्तजाम मे लिये रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। इसलिए विवादित जमीनों को इन्तजाम काश्त के लिये रिसीवर नियुक्त कर रिसीवर को आदेशित किया जावे कि वह विवादित आराजीयात को कब्जे राज लेकर नियमानुसार इन्तजाम काश्त करावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी सं0 1 व 3 ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर कथन किया है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं है बल्कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अलग अलग निवास करते है और अलग अलग पिता की संताने है। प्रार्थीगण ने सजरा गलत पेश किया है। मोती के पुत्र जयनारायण को छिपाया है। मोती पुत्र नानगा के दो पुत्र जयकिशन, जयनारायण थे और जयकिशन के पैदायशी पुत्र बद्री, रामस्वरूप व किशोर थे। जयकिशन ने अपना पैदायशी पुत्र रामस्वरूप जयनारायण को बचपन मे ही गोद दे दिया और रामस्वरूप को बचपन मे 8–10 वर्ष की अवस्था में ही गोद ले लिया। रामस्वरूप का पालन पोषण, विवाह आदि जयनारायण जयनारायण द्वारा ही सम्पन्न किये गये और रामस्वरूप, जयनारायण के साथ ही जयकिशन, बद्री व किशोर से अलग रहता रहा हैं जयनारायण के द्वारा रामस्वरूप को गोद लेने की और जयकिशन द्वारा रामस्वरूप को जयनारायण को गोद देने की रश्म हुयी है। जयनारायण ने रामस्वरूप को अपना दत्तक पुत्र बनाया है और रामस्वरूप अपने जीवनकाल मे जयनारायण का दत्तक पुत्र रहकर कार्य करता रहा और बतौर पुत्र जयनारायण का रामस्वरूप दत्तक पुत्र होना समस्त ग्रामवासियों की व प्रार्थीगण की जानकारी व ज्ञान मे रहा है। रामस्वरूप का स्वर्गवास हुऐ 40 वर्ष से अधिक समय व्यवतीत हो चुका है। रामस्वरूप का गोद पुत्र संस्कार हुऐ करीब 70–75 का अर्सा हो चुका है। अप्रार्थीगण जयनारायण के

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

दत्तक पुत्र रामस्वरूप की संताने है। जयनारायण व जयकिशन मोती के पुत्र है। यह राजस्व रिकार्ड से भी स्पष्ट है। रामस्वरूप जयनारायण का दत्तक पुत्र है। जयनारायण, रामस्वरूप के पिसर मुतवन्ना है यह भी राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट है। फिर भी प्रार्थीगण ने बेईमानी पूर्वक जयनारायण को मोतीलाल का पुत्र होने से छुपाया है। सैटिलमेंट सम्बत् 2015 में भी रामस्वरूप का जयनारायण का पुत्र होना पिसर मुतवन्ना होना दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं0 3 में दर्ज आराजीयात ग्राम कुड़गांव में स्थित है जिनमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 है हम अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने अपना 2/3 हिस्सा होना असत्य व निराधार दर्ज किया है। उक्त आराजीयात राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व जयकिशन व जयनारायण पिसरान मोतीलाल के खातेदारी व कब्जा काश्त की संयुक्त रही है और उनसे पूर्व मोतीलाल पुत्र नानगा के खातेदारी मे रही है और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के दिवस भी आराजीयात जयनारायण, जयकिशन के नाम रही है। उक्त आराजीयात सैटिलमेंट सम्बत् 2015 में जयकिशन पुत्र मोतीलाल एवं रामस्वरूप दत्तक पुत्र जयनारायण के खातेदारी मे रही है। अप्रार्थीगण के पिता बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे हमारे पिता के हक में रामस्वरूप पुत्र पिसर मुतवन्ना जयनारायण होना राजस्व रिकार्ड मे सही दर्ज है। करौली स्टेट के समय का हमारे पिता जयनारायण द्वारा गोद लिये गये है और जयकिशन द्वारा गोद दिये गये है। रामस्वरूप पिसर मुतवन्ना जयनारायण के बाबत् अपने जीवनकाल मे जयकिशन पुत्र मोतीलाल ने किसी प्रकार का विरोध व कार्यवाही नही की है क्योंकि जयकिशन स्वयं जानते थे कि रामस्वरूप जयनारायण का दत्तक पुत्र है। रामस्वरूप के हक में हुए खातेदारी इन्द्राज सही है, विधिवत है, सैटिलमेंट इन्द्राज सही व विधिवत है। प्रार्थना पत्र का मद नं0 4 जिस तौर पर दर्ज है गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त आराजीयात खसरा नं0 768, 769, 791, 825 स्थित ग्राम सलेमपुर हम अप्रार्थीगण के तनहा खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिनके सैटिलमेंट सम्बत 2015 में खातेदारी इन्द्राज और पिता रामस्वरूप पिसर मुतवन्ना जयनारायण के हक में हो रहे है जो सही है व विधिवत है। इन आराजीयात से प्रार्थीगण का कोई खातेदारी काश्तकारी संबंध नही है। प्रार्थीगण का कोई हिस्सा व हक नहीं है। हम अप्रार्थीगण ही एकमात्र खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 होना असत्य व निराधार दर्ज किया है। प्रार्थीगण ने अपना हिस्सा 2/3 होना भी गलत दर्ज किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने के समय इन आराजीयात पर हमारे पिता व जयनारायण का कब्जा काश्त बतौर खातेदार काश्तकार रहा है। जयनारायण की मृत्यु होने पर हमारे पिता रामस्वरूप के हक मे सैटिलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी इन्द्राज सही व विधिवत तौर पर किये है जो वैध है। इन आराजीयात पर प्रार्थीगण का शामलाती कब्जा काश्त नहीं है। बल्कि हम अप्रार्थीगण ही वर्तमान में काश्त कर रहे है। जयकिशन ने अपने जीवनकाल में रामस्वरूप के हक में हुऐ खातेदारी इन्द्राज को कभी भी चुनौती नहीं दी है। रामस्वरूप के स्वर्गवासी होने के बाद हमारे हक में नामान्तरकरण खातेदरी हुए है जो सही है विधिवत व वैध है। सत्यता यह है कि आराजीयात खसरा नं0 491, 707, 724, 774, 792, 837 एवं 1878 कुल किता 7 कुल रकबा 24 बीघा स्थित ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा की खातेदारी इन्द्राज बिला आधार अनाधिकार तौर पर अकेले जयकिशन पुत्र मोती ने सैटिलमेंट वालों से मिलकर अपने नाम सम्बत् 2015 में दर्ज करा लिये है जबकि इन आराजीयात में हम अप्रार्थीगण के पितामह जयनारायण व पिता रामस्वरूप व हमारा 1/2 हिस्सा खातेदारी अधिकार रहा है। और ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड इन आराजीयात के सम्बन्ध मे सैटिलमेंट से पूर्व अकेलें जयकिशन पुत्र मोती के नाम नहीं रहा है। फर्जकारी प्रार्थीगण के पितामह जयकिशन द्वारा जयनारायण के स्वर्गवासी होने पर की है। हम अप्रार्थीगण इन आराजीयात के 1/2 हिस्सा भू भाग के खातेदार काश्तकार है। जब प्रार्थीगण का कब्जा दायरी दावा व दायरी प्रार्थना पत्र के दिवस कब्जा काश्त ही नही रहा तो जमीनों को प्रार्थीगण द्वारा फुटस लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है। और जब प्रार्थीगण का उक्त विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त ही नही है और अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को फुटस नही लेने देने की कहने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण ने वाद ग्रस्त आराजीयात मे हक हकूक मूल दावे अन्तिम निर्णय पर तय होने है। इसलिए न्यायालय को इस स्टेज पर हक हकूक प्रोटेक्ट्स

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली

करना न्यायोचित नही है और अप्रार्थीगण द्वारा खुर्द बुर्द व नष्ट नही किया जा रहा है ना ही भूमि की शक्ल मे परिवर्तन किया जा रहा है। तब वादग्रस्त जमीनों के कब्जे काश्त के इन्तजाम के लिये रिसीवर नियुक्त किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थीगण इस रिसीवर की आड में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त को छीनना चाहते है। जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार विधिक तौर पर नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की एवं अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त स्वामित्व की भूमि को हड़पने को पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण रिसीवरी मय खर्चा विरूद्ध अप्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के जवाव को दोहराये है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षकारान की बहस का मनन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम कुड़गांव सम्बत् 2012 मे जयकिशन पुत्र मोती दर्ज है तथा सम्बत् 2015 की खतौनी वन्दोवस्त मे जैकिशन पुत्र मोती व रामस्वरूप मुतवन्ना जैनारायण दर्ज है जिसके मिलान क्षैत्रफल मे साविक खसरा नं0 42, 43, 44 एवं वर्तमान खसरा नं0 52, 53, 55, 57 अंकित है। ग्राम सलेमपुर की आराजी विवादित जिसके साबिक खसरा नं0 547, 572, 575, 576, 573, 593, 624/2 के वर्तमान खसरा नं0 768, 769, 791, 825 है जो कि खाता चारसाला मौजा सलेमपुर सम्बत् 1970, 1974 मे मोती वल्द नानोगा कौम मैना दर्ज है तथा सम्बत् 2015 की जमाबंदी मे खसरा नं0 768, 769 मे रामस्वरूप पुत्र जयनारायण दर्ज है। ग्राम सलेमपुर तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 491, 707, 724, 774, 792, 837, 1878 मे सम्बत् 2015 मे जयकिशन पुत्र मोती के नाम दर्ज है तथा सम्बत् 2073–76 मे बद्री व किशोर के वारिशान का 1/2–1/2 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार उक्त आराजी विवादित उभय पक्षकारान की पैतृक भूमि रही है किन्तु किसी जमाबंदी मे 1/2–1/2 हिस्से दर्ज है एवं किसी जमाबंदी मे 2/3 व 1/3 हिस्से दर्ज है इन सब तथ्यों को वाद पत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में पक्षकारान में आपस में किसी प्रकार के फौजदारी मुकदमें हुए हो के सम्बन्ध में को तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है ना ही संपत्ति के अक्रांत/जानमाल को खतरा संबंधी तथ्य प्रस्तुत किये है। प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद पत्र अभी लंबित है। विवादित आराजीयात के मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए दोनो पक्षों को अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष इस न्यायालय से जारी हो चुका है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर अपना अपना कब्जा कहकर आ रहे है। प्रार्थीगण का विवादित आराजीयात पर वाद पत्र में चाहे अनुसार कब्जा हो यह भी साबित नहीं हो रहा है। अप्रार्थीगण के विवादित आराजीयात पर वर्तमान में भूमि के हिस्से अनुसार कब्जा होने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात के वास्तविक कब्जे से हटाकर रिसीवर की नियुक्ति करना उचित प्रतीत नहीं होता है। दोनो पक्षों ने घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किये है जो साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किये जायेगें। रिसीवर की नियुक्ति जिस कृषि भूमि पर वादी/प्रार्थी का कब्जा नहीं है और अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण काबिज है, वहां रिसीवर कायम किया जाना न्यायोचित नहीं है या रिसीवर के माध्यम से कब्जे को बेदखल करना भी उपयुक्त नहीं है, जैसा 1985 आर.आर.डी. 63 में अभिनिर्धारित हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा बाबत् कायमी रिसीवर खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत् कायमी रिसीवर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.09.2021 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओम प्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा, जिला–करौली